भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1187

जिसका उत्तर 11 दिसम्बर, 2023/20 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया

उद्यमिता को बढ़ावा देना

1187. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:
डॉ. सत्यपाल सिंह:
डॉ. मनोज राजोरिया:
श्री मनोज कोटक:
श्री राजकुमार चाहर:
श्रीमती रंजीता कोली:
डॉ. सुजय विखे पाटील:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री सुमेधानन्द सरस्वती:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:
श्री शंकर लालवानी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार छोटे व्यवसायों को वित्तपोषण प्रदान करने के उद्देश्य से देश में विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाएं चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा विशेषकर किसानों और पथ-विक्रेताओं जैसे असंगठित लघु उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (घ): सरकार देश में छोटे व्यवसाय को वित्तपोषण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाएं नामतः प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया (एसयूपीआई), स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) और पीएम विश्वकर्मा योजना चला रही है।

(i) पीएमएमवाई का शुभारंभ 8 अप्रैल, 2015 को विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र में आय सृजन करने वाले कार्यकलापों और कृषि से संबद्ध गतिविधियों के लिए सूक्ष्म/लघु व्यवसाय इकाइयों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) जैसी सदस्य उधारदात्री संस्थाओं (एमएलआई) के माध्यम से 10 लाख रुपये तक संपार्श्विक-मुक्त संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया गया था।

(ii) एसयूपीआई का शुभारंभ 5 अप्रैल, 2016 को किया गया था जिसका उदेश्य व्यापार, विनिर्माण, सेवा क्षेत्रों और कृषि से संबद्ध गतिविधियों में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम एक एससी/एसटी उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपये से 100 लाख रुपए तक के बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

(iii) पीएम स्वनिधि का शुभारंभ 1 जून, 2020 को स्ट्रीट वेंडरों को तीन किस्तों अर्थात पहली किस्त में 10000 रुपये तक, दूसरी किस्त में 20,000 रुपये तक और तीसरी किस्त में 50,000 रुपये तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए किया गया था।

(iv) पीएम विश्वकर्मा का शुभारंभ 17 सितंबर, 2023 को किया गया था। इस योजना का उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण, संपार्श्विक-मुक्त ऋण, आधुनिक औजार, बाजार संबद्ध सहायता और डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर 18 अभिचिह्नित व्यवसायों से जुड़े पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को अद्योपांत समग्र सहायता प्रदान करना है।

(v) स्वयं सहायता समूह- बैंक संबद्ध कार्यक्रम (एसएचजी-बीएलपी): वित्तीय वर्ष 1992 से, एसएचजी-बीएलपी ने महिलाओं को बचत करने, उधार लेने और सामाजिक पूंजी बनाने में मदद करके उनके जीवन में सुधार किया है।

(vi) नाबार्ड (एमईडीपी) का सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम: वर्ष 2006 से, नाबार्ड पूर्ण विकसित एसएचजी के लिए आवश्यकता-आधारित कौशल विकास कार्यक्रमों (एमईडीपी) में सहायता कर रहा है जो पहले से ही बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

(vii) आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम (एलईडीपी): इसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया । एलईडीपी में समूहों में आजीविका संवर्धन कार्यक्रमों के संचालन की परिकल्पना की गई है।

यह कृषि और कृषि से इतर गतिविधियों में आजीविका सृजन को बढ़ावा देता है और दो ऋण चक्रों में गहन कौशल निर्माण, पुनश्चर्या प्रशिक्षण, बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज, मूल्य श्रृंखला प्रबंधन, इंड-टू-इंड समाधान और हैंडहोल्डिंग और एस्कॉर्ट सेवाओं के लिए सहायता प्रदान करता है।

इसके अलावा, सरकार ने बैंकिंग सुविधा, वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा से वंचित प्रत्येक परिवार को सर्वसुलभ बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) नामक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन (एनएमएफआई) का शुभारंभ किया था। इस योजना को "प्रत्येक परिवार" के स्थान पर "बैंकिंग सेवा से वंचित प्रत्येक वयस्क" के खाते खोलने पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिनांक 14.8.2018 से आगे बढ़ाया गया था।

जन धन खाते खोलने से समाज के असंगठित वर्गों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कवरेज में सुविधा हुई है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं:-

I. **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) में:** इस योजना के अंतर्गत, 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी अभिदान देने वाले बैंक/डाकघर खाताधारकों को 436/- रुपये प्रति ग्राहक प्रति वर्ष के प्रीमियम पर किसी भी कारण से मृत्यु होने की स्थिति में दो लाख रुपये का एक वर्ष का नवीकरणीय जीवन कवर प्रदान किया जाता है।

II. **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई):** यह योजना बैंक/डाकघर में खाते रखने वाले 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग, जो ऑटो-डेबिट करने के लिए अपनी सहमति देते हैं, के लिए खुली है। इस योजना के तहत 20 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर दुर्घटना के कारण आकस्मिक मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी विकलांगता के मामले में 2 लाख रुपये और आंशिक स्थायी विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये का जोखिम कवरेज प्रदान किया जाता है।

III. **अटल पेंशन योजना (एपीवाई):** यह योजना अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह के बीच गारंटीकृत न्यूनतम मासिक पेंशन प्रदान करती है।

*****